न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या	रजि0नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
17/02/2024	2024/48	01–03–2024	31–07–2024

1. तहसीलदार अलवर, जिला अलवर राजस्थान।

– प्रार्थी

बनाम

1. राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता पुत्र श्री जगदीश प्रसाद, निवासी RZF 905/20 लाल बहादुर शास्त्री मार्ग, राजनगर–2 पालम बस्ती बगडोला पश्चिम दिल्ली–110077

–अप्रार्थी

रिव्यू प्रार्थना–पत्र विरुद्ध निर्णय न्यायालय अति० जिला कलक्टर अलवर अन्तर्गत धारा 86, राज० भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :–

01–श्री दीपक मीना –राजकीय अभिभाषक

02–श्री दिनेश यादव – वकील अप्रार्थी

प्रार्थी द्वारा न्यायालय अति० जिला कलक्टर, अलवर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.10.2023 के विरूद्ध रिव्यू प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है। रिव्यू प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी जरिये अभिभाषक उपस्थित।

प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रस्तुत रिव्यू प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता पुत्र श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता द्वारा दिनांक 09.01.2023 व 19.01.2023 को इस कार्यालय में एक प्रार्थना पत्र इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न बैयनामा अनुसार नामा० दर्ज किया जावे। प्रार्थी द्वारा संलग्न बैयनामा अनुसार ख०न० 588 वाके ग्राम अलवर न02 पर नामा0 दर्ज करवाये जाने का अनुतोष चाहा गया। प्रकरण में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प० ह० अलवर न02 को पत्र भिजवाया गया। प० ह० अलवर न02 द्वारा बाद प्रकरण जांच रिपोर्ट इस कार्यालय में प्रस्तुत की गई थी, मुताबिक हाल जमाबंदी वाके ग्राम अलवर 102 ख0न0 588 रकबा 0.56 है० (गै० मु० आबादी–0.03 है०, गैर मुमकिन चाह–0.02 है०, चाही 1–0.51) अमित रावत पुत्र ओमप्रकाश खण्डेलवाल हि. 1/10 जाति महाजन निवासी 199 SWB अलवर खातेदार वगैरह कुल 07 खातेदारान के नाम दर्ज रिकार्ड है। (हाल जमाबंदी संलग्न है।) मुताबिक संलग्न पंजीकृत बैयनामा क्रमांकः 202203070107920 दिनांक 06.12.2022 ख0न0 588 रकबा 0.56 है० वाके ग्राम अलवर न02 तहसील अलवर में से सन्तरा पत्नि गिर्राज प्रसाद, राजेन्द्र पुत्र गिर्राज प्रसाद, प्रकाशचन्द पुत्र जगन्नाथ, अमित रावत पुत्र ओमप्रकाश द्वारा अपना संपूर्ण हि. 13/30 का बेचान राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता पुत्र जगदीश प्रसाद जाति महाजन निवासी निवासी RZF 905/20 लाल बहादुर शास्त्री मार्ग राज नगर–2 पालम बस्ती बगडोला दक्षिण पश्चिम दिल्ली–110077 के पक्ष में विक्रय किया गया है। (पंजीकृत बैयनाना की प्रति संलग्न है।) मुताबिक पंजीकृत बैयनामा क्रमांक राकेश हि. 1/30 एवं बैयनामा क्रमांक 202203069107660 दिनांकः 15.12.2022 से दीपशिखा पुत्री 202203069107659 दिनांकः 15.12.2022 से नाबालिग चिराग पुत्र राकेश गुप्ता हि. 1/30 द्वारा ख०न० 588 रकबा 0.56 है० में से अपने संपूर्ण हिस्सा राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता पुत्र जगदीश प्रसाद जाति महाजन को विक्रय किया गया है। (पंजीकृत बैयनामा की प्रति संलग्न है।) उक्त तीनो पंजीकृत बैयनामा में ख0न0 583 रकबा

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

0.56 है0 में से विक्रेताओ का 1/2 हिस्सा क्रेता (अप्रार्थी) के पक्ष में निष्पादित हुआ है। शेष हिस्सा 1/2 खातेदार मुताबिक जमाबंदी यथावत है तथा संलग्न बैयनामा अनुसार बेचान नहीं किया गया है एवं उक्त बैयनामा में क्रेता द्वारा क्रय किये गये हिस्से की दिशा का अंकन भी नहीं किया गया है। मौके पर उक्त ख०न० 588 रकवा 0.56 है० पर लगभग खसरे के मध्य में दो मंदिर निर्मित है। तरफ उत्तर पश्चिम कोने में लगभग 0.03 है० पर बाउण्ड्रीवाल करके अन्य निर्माण है जिसमे देखने पर कोयला सप्लाई का कार्य जाहिर होता है। उत्तर पूर्वी कोने पर एक मकान निर्मित है जिसमें रोड की तरफ 07 दुकान शटरनुमा है जो मौके पर वंद है। उक्त खसरे के चारो तरफ बाउण्ड्रीवाल निर्मित है, शेष भूमि मौके पर खाली पड़ी है जिसको देखने पर प्रतीत होता है कि पुरातन पडत है। मौके पर कोई फसल काश्त नहीं की जा रही है। उक्त खसरा नम्बर शहर के अति व्यस्तम रिहायशी एवं व्यवसायिक क्षेत्र से लगता हुआ है। मुताबिक राजस्व रिकार्ड उक्त खसरा नम्बर 588 रकबा 0.56 है० अविभाजित है। मुताबिक गिरदावरी संवत 2071—2074, 2076—78 मौसम खरीफ एवं रबी कोई फसल दर्ज रिकार्ड नहीं है। (गिरदावरी की प्रत्ति एवं रिपोर्ट प०ह० अलवर न02 संलग्न है।) प्रकरण में प० ह० अलवर न02 द्वारा राजस्व (ग्रुप—1) विभाग जयपुर द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 28.04.2011 के संदर्भ में मार्गदर्शन चाहा गया। (रिपोर्ट प० ह० अलवर न02 की प्रति संलग्न है।) प्रकरण में तत्कालीन तहसीलदार अलवर द्वारा स्वयं दिनांक 19.01.2023 को ख0न0 588 रकबा 0.56 है० वाके ग्राम अलवर न02 का मौका देखा गया एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संदर्भ में टिप्पणी श्ख0न0 588 के मध्य में प्राचीन धार्मिक स्थल (मंदिर) स्थित है। मौके पर ख० न0 588 का उपयोग गैर कृषि श्रेणी में आता है, जिसकी भू—राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90—ए के अन्तर्गत कार्यवाही इस कार्यालय में विचाराधीन है। वर्तमान प्रचलित राजस्व कानून एवं नियमो के परिपेक्ष्य में उक्त खसरा नम्बर पर पंजीकृत बैयनामा अनुसार नामा0 दर्ज किया जाना विधिसंगत नहीं है'' करते हुये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 19.01.2023 को खारिज किया गया। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पर तत्कालीन तहसीलदार अलवर के उक्त निर्णय दिनांक 19.01.2023 की दिनांक 26.07.2023 को माननीय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम), अलवर में अपील की गई। माननीय न्यायालय द्वारा अपीलीय प्रकरण में दिनांक 19.10.2023 को निर्णय पारित किया गया कि विवादित आराजी अपीलान्ट की खरीदशुदा आराजी है। तहसीलदार अलवर द्वारा यह अंकित किया गया है कि उक्त विवादित आराजी में गैर कृषि कार्य किया जा रहा है लेकिन तहसीलदार द्वारा उक्त संबंध में किसी प्रकार के कोई प्रमाणित दस्तावेजात अथवा फोटो पेश नहीं किये गये है जिससे यह प्रमाणित होता हो कि उक्त विवादित आराजी पर कोई गैर कृषि कार्य किया जा रहा हो। अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर तहसीलदार अलवर को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी की खरीदशुदा आराजी का नामा0 बयनामों के आधार पर नियमानुसार दर्ज करें। प्रार्थी द्वारा पुनः दिनांक 31.10.2023 को माननीय न्यायालय अति० जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर का निर्णय संलग्न कर पालना चाही गई। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 8637 दिनांक 01.11.2023 जारी करते हुये प० ह० अलवर न02 को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाया गया। प० ह० अलवर न02 द्वारा पुनः प्रकरण में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि मौके अनुसार उक्त ऐसे खसरा नम्बर 588 रकबा 0.56 है० पर खसरे के मध्य में दो प्रचीन मंदिर स्थित है। तरफ उत्तर पश्चिम में लगभग 0.03 है० रकबे पर बाउण्ड्रीवाल करके अन्य निर्माण है जिसमें देखने पर कोयला सप्लाई का कार्य होता है। मौके पर तरफ रोड पर दो मौके पर नवनिर्मित दुकाननुमा शटर बंद हैं। मुख्य सड़क से सटे किनारे पर उत्तर—दक्षिण लगभग खसरे के मध्य में सी०सी० रोड डाली गई है। सी०सी० रोड से लगती हुई भूमि पर दो भू—खण्डों की चारदीवारी की गई है एवं भूखण्डों के पास निर्माण सामग्री पड़ी हुई है। उक्त खसरा नम्बर के चारों तरफ चारदीवारी की हुई है। तरफ उत्तर—पूर्व कोने के एक मकान बना हुआ है जिसके तरफ रोड पर सात पक्की दुकानें बनी हो कर मोके पर संचालित हैं। मौके का अवलोकन करने से

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

जाहिर होता है कि मौके पर सी०सी० रोड डाली जाकर भू–खण्ड काटे गये हैं। शेष पुरातन पडत भूमि पर भी भू–खण्ड काटे जाने की संभावना प्रबल है एवं भू–खण्ड काटे जाने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। मौके पर उक्त भूमि शहर के व्यस्तम रिहायशी एवं व्यवसायिक क्षेत्र के मध्य स्थित है तथा उक्त खसरा नम्बर अविभाजित है। प्रकरण में स्वंय प्रार्थी द्वारा बहमराह भू० अभिलेख नि० अलवर एवं प०ह० अलवर न० 2 तहसील अलवर के साथ उक्त भूमि का मौका निरीक्षण किया गया एवं मौके पर उक्त भूमि का गैर कृषि उपयोग लिया जाना पाया गया। मौके पर उक्त भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार किसी भी प्रकार कृषि भूमि नहीं है। मौके पर भूमि को संपरिवर्तन कराये बिना अकृषि कार्य में प्रयोग लिया जा रहा है। उक्त भूमि पर अकृषि कार्य पाये जाने पर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90–ए के तहत नियमानुसार कार्यवाही इस कार्यालय में पूर्व से विचाराधीन है। (रिपोर्ट प० ह० अलवर न०2 की प्रति एवं राज० भू–राजस्व अधि० 1956 की धारा 90ए की रिपोर्ट संलग्न है।) माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.10.2023 की नियमानुसार पालना के क्रम में माननीय न्यायालय अति० जिला कलक्टर, अलवर को प्रकरण में उक्त गैर कृषि उपयोग में ली जा रही भूमि के फोटोग्राफ्स मय कार्डिनेटस एवं राजस्व विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 25.10.2010 एवं 28.04.2011 के संबंध में तथा मौके पर काटे गये भूखण्डों एवं भूमि के गैर कृषि उपयोग लिये जाने पर प्रार्थी के मौका निरीक्षण की रिपोर्ट सादर प्रस्तुत की गई कि उक्त आराजी पर बैयनामों के आधार पर नामा0 दर्ज किया जाना नियमानुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों के तहत विधिसंगत नहीं है एवं प्रकरण में कार्यालय के पत्रांक भू०अ० / 2023 / 9010 दिनांक 04.12.2023 के माध्यम से मार्गदर्शन चाहा गया। श्रीमान अत्ति० जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर द्वारा पत्रांक कोर्ट / एडीएम प्रथम / 2023 / 01 दिनांक 08.01.2024 के माध्यम से मार्गदर्शन प्रदान किया गया कि विधिक परीक्षण अनुसार प्रकरण में भूमि का पंजीकरण हैक्टर माप में किया गया है। भूमि को कृषि प्रयोजनार्थ दिखाया गया है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 28.04.2011 के अनुसार वर्गगज / वर्गफीट / वर्गमीटर को कृषि भूमि के प्रयोजनार्थ मानक ईकाइयां नहीं माना गया है अतः राजस्थान सरकार के परिपत्र दिनांक 28.04.2011 की छायाप्रति पत्र के साथ संलग्न कर लेख है कि प्रकरण में वर्णित भूमि का विक्रय कृषि प्रयोजनार्थ किया गया है। विक्रय पत्र में भी भूमि की माप है० में दर्शाई गई है। विक्रय पत्र में संलग्न नक्शे एवं मौके की तुलनात्मक जाँच कर परिपत्र दिनांक 28.04.2011 के अनुसार नामा0 की कार्यवाही अमल में लावे साथ ही प्रकरण में वर्णित भूमि के किसी विशेष भाग पर यदि किसी व्यक्ति द्वारा कोई अकृषि कार्य किया गया है तो संबंधित के विरूध नियमानुसार कार्यवाही करें। राजस्व (ग्रुप–1) विभाग राजस्थान सरकार जयपुर द्वारा दिनांक 25.10.2010 को जारी परिपत्र में स्पष्ट किया गया है कि जिन भूखण्डों का विक्रय नियमानुसार पंजीकृत दस्तावेज से किया गया है, उन भूखण्डों का क्रेता द्वारा अवैधानिक रूप से कृषि से बिना रुपान्तरण कराये ही अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग कर लिया गया है, ऐसे पंजीकृत भूखण्डों का नामा0 क्रेता के हक में खोले गये है, वह अनियमित है। अतः इस प्रकार के प्रकरणों की जाँच की जाकर राजस्व अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही अमल में लाई जावे तथा अनियमित खोले गये नामा0 से संबंधित प्रकरणों में कोई कर्मचारी अधिकारी दोषी पाया जाता है तो उनके विरूध नियमानुसार कार्यवाही की जावे। राजस्व (ग्रुप–1) विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 28.04.2011 में भी निर्देश प्रदान किये गये हैं कि किसी व्यक्ति द्वारा पंजीकृत क्रय पत्र से कृषि प्रयोजनार्थ क्रय की गई कृषि भूमि के संबंध में क्रेता के पक्ष में नामानतीय दर्ज करते समय यह देखा जाना है कि कृषि भूमि का क्रय कृषि प्रयोजनार्थ किया गया है। यदि किसी व्यक्ति द्वारा कृषि भूमि का क्रय कृषि प्रयोजनार्थ किया गया है और ऐसे क्रय का नामा० दर्ज होने से पूर्व अथवा नामा० दर्ज / प्रमाणीकरण होने के बाद भी उक्त कृषि भूमि का नियमानुसार अकृषि प्रयोजनार्थ रुपान्तरण कराये बिना अकृषि प्रयोजन में

अतिरिक्त जिला कलक्टर (
अलवर (राज०)

उपयोग कर लिया जाता है तो ऐसे प्रकरण में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90–ए के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जावेगी। धारा 90–ए राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत कार्यवाही करने पर यदि संबंधित क्रेता अथवा उसके पश्चातवर्ती क्रेतागण द्वारा नियमानुसार शास्ति जमा करा कर अवैध रूप से किये गये अकृषि उपयोग का नियमन नहीं कराया जाता है तो उक्त क्रेता अथवा उसके पश्चातवर्ती क्रेतागण, जैसी भी स्थिति हो को उक्त भूमि पर अतिक्रमी माना जावेगा और उनके विरूद्ध राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत बेदखली की कार्यवाही की जावेगी मानो उक्त व्यक्तियों द्वारा उक्त भूमि पर बिना किसी विधिक प्रधिकार के कब्जा किया है और कब्जे में बने हुये है। यदि आवश्यक हुआ तो ऐसे कब्जाधारियों के विरुध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 90–ए (5) (घ) के अनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत भी कार्यवाही की जावेगी मानो उक्त भूमि के खुर्द–बुर्द होने या उसको क्षति कारित होने या उसके हस्तान्तरण का खतरा है। राजस्थान लैण्ड रिकार्ड रुल्स 1957 के नियम 137 के अनुसार Mutatuion Of Khatedari Right: No mutation should be entered by the patwari which contravenes the provisions of the rajasthan tenancy act, 1955. The Rajasthan land revenue act, 1956. Ceiling Act any other act, Ordinance or Rules nor the ILR should certify it. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में कृषि भूमियों के कृषिकत्व से संबंधित कानून को एकत्रित तथा संशोधित करने और भूमि सुधार के कतिपय उपायों व उनसे संबंधित मामलों की व्यवस्था करने के प्रावधान हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 5(2) च धारा 5 (24) में उल्लेखित है कि भूमि से तात्पर्य ऐसी भूमि से होगा जो कृषि संबंधी कार्यों या तदधीन (Subservient) ऐसे अन्य कार्यों अथवा उपवन अथवा चारागाह हेतु पट्टे पर दी जायें या धारित की जाये एवं उस भूमि क्षेत्र में बनाये गये भवनों या बाडों की भूमि उस पानी से ढकी भूमि शामिल होगी, जो सिंचाई हेतु सिघाडा अथवा तत्समान अन्य किसी उपज को उगाने हेतु काम में ली जा सके, किन्तु उसमें आबादी भूमि शामिल नही होगी, उसमें भूमि से संलग्न किसी भी चीज से स्थाई रूप में संबंधित वस्तुओं से होने वाले फायदे शामिल माने जायेंगे। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 5(24) में स्पष्ट है कि कृषि भूमि की परिभाषा में आबादी भूमि शामिल नहीं होगी। प्रकरण से संबंधित बैयनामों में आराजी ख०न० 588 रकबा 0.56 है० (गैर मुमकिन आबादी 0.03, गैर मुमकिन. चाह 0.02, चाही–1 0.51) में से गैर मुमकिन आबादी रकबा 0.03 है० भी शामिल है जिसके गैर कृषि दर्ज रिकार्ड होने पर नियमानुसार नामा0 दर्ज किया जाना विधिसंगत नहीं है। इस प्रकार उक्त भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों के अनुसार कृषि भूमि की श्रेणी में नहीं हो कर मौके पर गैर कृषि कार्य में उपयोग में ली जा रही है जिसका नामा0 राजस्थान लैण्ड रिकार्ड रुल्स 1957 के नियम 137 के अन्तर्गत दर्ज किया जाना विधिसंगत नहीं है। इस प्रकार उक्त भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों के अनुसार कृषि भूमि की श्रेणी में नहीं हो कर मौके पर गैर कृषि कार्य में उपयोग में ली जा रही है जिसका नामा० राजस्थान लैण्ड रिकॉर्ड रूल्स 1957 के नियम 137 के अन्तर्गत दर्ज किया जाना विधिसंगत नही है। उपर्युक्त उल्लेखित बिन्दु संख्या 11 व 12 में राजस्व विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 25.10.2010 एवं 28.04.2011 के अनुसार नामा0 की कार्यवाही कृषि भूमि होने के संबंध में निर्देशित किया गया है यदि किसी व्यक्ति द्वारा कृषि भूमि का क्रय कृषि प्रयोजनार्थ किया गया है और ऐसे क्रय का नामाननीय दर्ज होने से पूर्व अथवा नामा0 दर्ज प्रमाणीकरण होने के बाद भी उक्त कृषि भूमि का नियमानुसार अकृषि प्रयोजनार्थ रुपान्तरण कराये बिना अकृषि प्रयोजन में उपयोग कर लिया जाता है तो ऐसे प्रकरण में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90–ए के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जावेगी। धारा 90–ए राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत कार्यवाही करने पर यदि संबंधित ता अथवा उसके पश्चातवर्ती क्रेतागण द्वारा नियमानुसार शास्ति जमा करा कर अवैध रूप से किये गये अकृषि उपयोग का

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

नियमन नहीं कराया जाता है तो उक्त क्रेता अथवा उसके पश्चातवर्ती नेतागण, जैसी भी स्थिति हो को उक्त भूमि पर अतिकमी माना जावेगा और उनके विरुद्ध राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत बेदखली की कार्यवाही की जावेगी मानी उक्त व्यक्तियों द्वारा उक्त भूमि पर बिना किसी विधिक प्रधिकार के कब्जा किया है और कब्जे में बने हुये हैं। यदि आवश्यक हुआ तो ऐसे कब्जाधारियों के विरुद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1956 की धारा 90–ए (5) (घ) के अनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत भी कार्यवाही की जावेगी मानो उक्त भूमि के खुर्दबुर्द होने या उसको क्षति कारित होने या उसके हस्तान्तरण का खतरा है। प्रकरण में मा० न्यायालय द्वारा प्रदान मार्गदर्शन के संबंध में संबंधित बैयनामों में भूमि की माप वर्गगज/वर्गफीट/वर्गमीटर में अंकित नहीं होकर माप हैक्टेयर में अंकित होना भूमि के कृषि प्रयोजन को प्रमाणित नहीं करता है, जबकि मौके पर भूमि का गैर कृषि उपयोग किया जा कर भूखण्ड काटे जा रहे हैं। उक्त भूमि पर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90ए की कार्यवाही न्यायालय तहसीलदार अलवर में विचाराधीन है। प्रार्थी द्वारा स्वयं उक्त भूमि का मौका निरीक्षण किया जा कर मौके के फोटोग्राफ्स किये गये हैं जो प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। अतः रिव्यू प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 राजस्थान लैण्ड रिकार्डस रुल्स 1957, न्यायालय तहसीलदार अलवर में विचाराधीन कार्यवाही अन्तर्गत धारा 90–ए राज० भू–राजस्व अधिनियम 1956 एवं राजस्व विभाग द्वारा जारी परिपत्रों को मध्यनजर रखते हुये रिव्यू प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर पुनर्निर्णय फरमाने की कृपा करें।

वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत समस्त तथ्यों को अस्वीकार करते हुए एतराज किया है कि प्रार्थी द्वारा विलम्ब का कोई युक्तियुक्त कारण पेश नहीं किया गया है, जबकि निर्णय दिनांक 19.10.2023 का है. रिव्यू प्रार्थना–पत्र तह० अलवर द्वारा दिनांक 31.01.2024 को पेश किया गया है जो करीब 03 माह 11 दिन विलम्ब से पेश किया गया है, जो करीब 11 दिवस विलम्ब से पेश किया गया है। विलम्ब को कण्डोन कराने हेतु दिन–प्रतिदिन का कारण स्पष्ट करना होता है। रिव्यू प्रार्थना–पत्र मियाद अधिनियम पोशनीयन होने के कारण खारिज किए जाने योग्य है। विद्वान वकील अप्रार्थी द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 86 में वर्णित रीव्यू प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने की मियाद के संबंध में कानून पेश किया गया है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। उभय पक्ष की बहस पर चिन्तन मनन किया गया। न्यायालय का निर्णय दिनांक 19.10.2023 का है, जबकि रिव्यू प्रार्थना–पत्र तह० अलवर द्वारा दिनांक 31.01.2024 को पेश किया गया है जो करीब 03 माह 11 दिन विलम्ब से पेश किया गया है, जो करीब 11 दिवस विलम्ब से पेश किया गया है। विलम्ब की अवधि को कण्डोन कराने हेतु दिन–प्रतिदिन का कारण स्पष्ट करना होता है। विद्वान वकील अप्रार्थी द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 86 में वर्णित रिव्यू प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने की मियाद के संबंध में कानून पेश किया है, जो प्रकरण में पूर्णतयाः चस्पा होता है। अतः रिव्यू प्रार्थना–पत्र खारिज योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर रिव्यू प्रार्थना–पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील संलग्न मूल अपील हो।

निर्णय आज दिनांक 31.07.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(वीरेन्द्र कुमार वर्मा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)